फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना अमृतपुर

दिनांक :- 18.11.2025

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 24 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सर्किल अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 352/74 बीएनएस में वाँछित अभियुक्त **अभिषेक पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम भावन थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़** को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.अभिषेक पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम भावन थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 17.11.2025 को वादी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी की अभियुक्त अभिषेक द्वारा उसकी पुत्री के साथ गाली गलौज कर छेडछाड की गयी है। वादी की सूचना के आधार पर दिनांक 18.11.2025 को थाना अमृतपुर पर मु0अ0सं0 179/2025 धारा 352/74 बीएनएस बनाम अभिषेक उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी, मै भविष्य में किसी के भी साथ छेडखानी नही करूंगा। माफ कर दीजिए।

अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 179/2025 धारा 352/74 बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. कार्यवाहक थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री रवि सोलंकी
2. उ0नि0 श्री कल्लू सिंह
3. का0 विकास भाटी
4. का0 गजेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।